



राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

"पंचदीप भवन", भवानी सिंह मार्ग, जयपुर -302 001

दूरभाष-0141-2220743 फ़ैक्स-0141-2223251

E-Mail. smc-raj@esicnic.in

Website- www.esicrajasthan.com

(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)

संख्या: 15-यू-11/टाइ-अप (सैकण्डरी)/एसएमसी/2010

दिनांक 30.4.2010

परिपत्र

विषय: Secondary Level of Medical Treatment के तहत टाइ-अप (Tie up) व्यवस्था बाबत।

उपर्युक्त विषय में सूचित किया जाता है कि मुख्यालय, कराबी निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्या: U-16/12/06/Raj./Med-II dated March 3, 2010 के अनुसार राजस्थान क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (Beneficiaries) के लिए निम्न विवरणानुसार प्राइवेट अस्पताल से Secondary Level of Medical Treatment हेतु टाइ अप (Tie up) व्यवस्था दो वर्ष के लिए की गई है:-

Sl. No.	Centre	Name of Institution/ Hospital & Address	Tie up Period	Services Provided
1	Ajmer	Gheesibai Memorial MITTAL Hospital & Research Centre, Pushkar Road, AJMER- 305004 (Raj.)	3.05.2010 to 02.05.2012	Secondary Level of Medical Treatment

प्रक्रिया निम्नप्रकार से दर्शायी जा रही है :-

- 1- मरीज को निम्नलिखित कराबी औषधालयों से Secondary Level of Medical Treatment हेतु उक्त चिकित्सालय में रेफर (Refer) किया जाएगा।
 - (i) Medical Officer (I/c) E.S.I. Dispensary, Kala Bagh, Bajrang Garh Choraha, AJMER
 - (ii) Medical Officer (I/c) E.S.I. Dispensary, Sangram bhawan Essai Mohalla, AJMER
 - (iii) Medical Officer (I/c) ESI Dispensary, COLLEGE ROAD, BEAWAR
 - (iv) Medical Officer (I/c) ESI Dispensary, 53 MAYUR COLONY, RAM MANDIR ROAD, NOW OFFICERS COLONY, GULABPURA
 - (v) Medical Officer (I/c) ESI Dispensary, PINGLOD HOUSE, CITY ROAD, OPP. INCOME TAX BUILDING, KISHANGHARH
 - (vi) Medical Officer (I/c) ESI Dispensary, SAYED MAUKHTAR ALI KA BHAWAN NOORANI COLONI, HOTEL PRESIDENT KE BEHIND, MAKHRANA
2. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) द्वारा उपचार हेतु मरीज को टाइ अप किये गये अस्पताल में तभी रेफर किया जा सकेगा, जब वे पात्रता की शर्त पूरी करते हो।
3. उक्त वर्णित अस्पताल से टाइ अप Secondary Level of Medical Treatment के लिए दो वर्ष के लिए किये गये एग्रिमेन्ट दिनांक 30.4.2010 में वर्णित शर्तों के अनुसार किया गया है।
4. उक्त वर्णित टाइ अप अस्पताल (Gheesibai Memorial MITTAL Hospital & Research Centre, AJMER) द्वारा मरीज से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह व्यवस्था राशि रहित (Cash less) होगी।

कमश: 2

5. मरीज के इलाज के बाद पुनर्भरण बिल (पूर्ण मूल कागजातों सहित) भुगतान हेतु संबंधित टाइ अप अस्पताल द्वारा सीधे ही तुरन्त राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, जयपुर को भेजा जाएगा।

(डॉ. वी. के. तनेजा)
राज्य चिकित्सा आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. चिकित्सा आयुक्त (मेड. II), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली।
2. प्रमुख शासन सचिव (श्रम एवं नियोजन) शासन सचिवालय, राज. सरकार, जयपुर।
3. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक, क्षे.का., कराबी निगम, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त टाइ अप संबंधी सूचना संबंधित बीमा चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों, कराबी औषधालय को दी जा रही है। अतः अनुरोध है कि उक्त चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का श्रम करें।
5. संयुक्त निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (प्रभारी) डिवाजनल कार्यालय, क.रा.बी. निगम, जोधपुर।
- 7- Medical Officer (I/c) E.S.I. Dispensary, RIICO Kala Bagh, Bajrang Garh Choraha, AJMER
- 8- Medical Officer (I/c) E.S.I. Dispensary, Sangram bhawan Essai Mohalla, AJMER
- 9- Medical Officer (I/c) ESI Dispensary, COLLEGE ROAD, BEAWAR
- 10- Medical Officer (I/c) ESI Dispensary, 53 MAYUR COLONY, RAM MANDIR ROAD, NOW OFFICERS COLONY, GULABPURA
- 11- Medical Officer (I/c) ESI Dispensary, PINGLOD HOUSE, CITY ROAD, OPP. INCOME TAX BUILDING, KISHANGHARH
- 12- Medical Officer (I/c) ESI Dispensary, SAYED MAUKHTAR ALI KA BHAWAN NOORANI COLONI, HOTEL PRESIDENT KE BEHIND, MAKRANA
13. श्री (सदस्य,
क्षेत्रीय परिषद, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राज. क्षेत्र)
14. उप निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर
15. उप निदेशक (प्रशासन), क्षे. का. जयपुर को उक्त सूचना राजस्थान की वेबसाइट www.esicrajasthan.com पर उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित है।
16. सहायक निदेशक (पी. आर.) क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
17. शाखा प्रबंधक, कराबी निगम, अजमेर, ब्यावर, गुलाबपुरा व किशनगढ को इस निर्देश के साथ कि आपके केन्द्र पर गठित स्थानीय समिति के सभी सदस्यों/ नियोजकों/ एम्पलायर एसोसियेशन/ ट्रेड यूनियनों एवं सभी संबंधितों की जानकारी में लावे एवं बीमितों की जानकारी हेतु उक्त सूचना की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाना सुनिश्चित करें।
18. संबंधित अस्पताल। (19) सूचना पट्ट। (20) गार्ड फाईल। (21) एक प्रति वैबसाइट पत्रावली।